



राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2025

जयपुर, दिनांक : 27-10-2025

आज्ञा

निम्नांकित राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्यहित में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

क्रसं	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	नवीन पद	टिप्पणी
1	श्रीमती प्रीति माथुर	संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर	सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	श्री दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर
2	श्री दिनेश कुमार शर्मा	सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान बीज निगम, जयपुर	रिक्त पद पर
3	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् -कम- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), दौसा	रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	रिक्त पद पर
4	श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया	उपायुक्त (परियोजना समन्वय), दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर प्रोजेक्ट, जयपुर	शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
5	श्री बिरदी चन्द गंगवाल	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् -कम- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), दौसा	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा के स्थान पर
6	श्री प्रियव्रत सिंह चारण	उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर	जिला रसद अधिकारी(प्रथम), जयपुर	रिक्त पद पर
7	श्री अरविन्द शर्मा	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी (बून्दी)	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा	श्री बिरदी चन्द गंगवाल के स्थान पर
8	श्री महेश चन्द्र मान	उपखण्ड अधिकारी, भनियाना (जैसलमेर)	सहायक आयुक्त-कम-सहायक सचिव, सहायता विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
9	श्री दूदाराम	उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना (बाड़मेर)	उपखण्ड अधिकारी, देवू (फलौदी)	श्री भंवर लाल के स्थान पर
10	श्री रोहित चौहान	उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर दक्षिण, जोधपुर	उपखण्ड अधिकारी, आहोर (जालौर)	श्री सांवरमल रैगर के स्थान पर
11	श्रीमती सविता शर्मा	उपायुक्त, एस.एम.एस.ए. एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर	उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी (अलवर)	सुश्री पिकी के स्थान पर
12	श्री सांवरमल रैगर	उपखण्ड अधिकारी, आहोर (जालौर)	उप खण्ड अधिकारी, बज्जू (बीकानेर)	सुश्री प्रिया बजाज के स्थान पर
13	सुश्री प्रिया बजाज	उप खण्ड अधिकारी, बज्जू (बीकानेर)	उपखण्ड अधिकारी, घड़साना (श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर
14	श्री धर्मेन्द्र वर्मा	उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया (सलूम्बर)	भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	रिक्त पद पर
15	श्री राम करन सिंह	उपखण्ड अधिकारी, नैनवा (बून्दी)	उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव (उदयपुर)	श्री भाग चंद रैगर के स्थान पर

16	श्री भाग चंद रैगर	उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव (उदयपुर)	उपखण्ड अधिकारी, नैनवा (बून्दी)	श्री राम करन सिंह के स्थान पर
17	श्री भंवर लाल	उपखण्ड अधिकारी, देचू (फलोदी)	उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना (बाड़मेर)	श्री दूदाराम के स्थान पर

सुश्री पिकी, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी (अलवर) को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है। ये अपनी उपस्थिति कार्मिक (क-4) विभाग में देगी।

श्री माधव भारद्वाज(2023), आई.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर अपने पद के कार्य के साथ-साथ सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक संपादित करेंगे।

क्रम संख्या 1 से 17 तक अंकित सभी अधिकारीगण को उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहणकाल / अवकाश का उपयोग किये तुरन्त प्रभाव से अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट itcell.dop@rajasthan.gov.in पर तत्काल भेजेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 12 कार्मिक (क-4) अनुभाग में सेवा अभिलेख संधारित किये जाने वाले सहायक अनुभागाधिकारी / लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में यदि किसी पद का वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) का चैनल निर्धारित नहीं है तो उसकी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव